



## केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 10951

01 10 2024

**विषय: IS 10951 : 2020 (संकचन और बहिर्वेधन के लिए पोलिप्रोपयलीन समग्री की विशिष्टि) में संशोधन संख्या 3 का कार्यान्वयन।**

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 10951 : 2020 में संशोधन संख्या 3 प्रकाशित हो चुकी है। IS 10951 : 2020 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की अंतिम तिथि **08 मार्च 2025** है। सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 10951 : 2020 में संशोधन संख्या 3 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और **08 मार्च 2025** तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(इंद्रजीत सिंह)  
वैज्ञानिक-डी (के मु वि-2)

**प्रमुख (के मु वि-2)**

सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

### CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 10951

01 10 2024

**Subject: Implementation of Amendment No. 3 to Indian Standard 10951: 2020 Polypropylene (PP ) Materials for Moulding and Extrusion- Specification)**

This is to inform to all concerned that Amendment No. 3 to IS 10951: 2020 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 3 to IS 10951: 2020 is **08 March 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **08 March 2025**

(Inderjeet Singh)  
Scientist D (CMD-2)

**Head (CMD - 2)**

**Circulated to: All licensees/applicants**

**Copy to: BIS Branch Offices**